उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-275/2016/1731/38-1-2016&3520/2016

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2016

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2015 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनुकूल चरित्र सत्यापन एवं राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुए निम्नलिखित नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

क्र0	**नाम सर्वश्री**	**पिता/पति का नाम**	**पत्राचार का पता**	**गृह जनपद**	**तैनाती का जनपद**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	विजय शंकर त्रिपाठी	स्व0 राजनाथ त्रिपाठी	ग्राम राजापुर, मल्हुआ, पोस्ट-सोरॉव, जनपद इलाहाबाद	इलाहाबाद	शाहजहॉपुर
2	चन्द्र शेखर कुशवाहा	श्री महादेव कुशवाहा	म0नं0 305-बी, महाराणा प्रताप नगर, टीचर्स कालोनी, नकहा, नं0-1, बशारतपुर, गोरखपुर	देवरिया	अमरोहा
3	कुलदीप कुमार	श्री आनन्द देव	610, कर्नलगंज, इलाहाबाद	बॉदा	ललितपुर
4	अर्चना पाण्डेय	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	म0नं0-7/10/9बी 17 मो0 जप्तीवजीरगंज, पोस्ट-देवकाली, निकट लाइफ लाइन हास्पिटल, फैजाबाद	फैजाबाद	सिद्धार्थनगर
5	कमल कान्त सिंह	श्री रूपेन्द्र कुमार	ग्राम व पो0-हस्तपुर, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़	अलीगढ़	कासगंज
6	जेनिथ कान्त	कमला कान्त	5/1टाइप-4, जानकीपुरम, सचिवालय	जौनपुर	शाहजहॉपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			कालोनी, अलीगंज, लखनऊ		
7	अंजली सरोज	श्री अनिल कुमार सरोज	सिविल लाइन कटरा रोड, सरोज चैराहा, ग्राम करनपुर, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	सिद्धार्थनगर
8	पंकज कुमार गौतम	श्री राम नारायन	268/343/38 दारूगोदाम, ऐशबाग, लखनऊ	लखनऊ	बरेली
9	राजीव कुमार	हरिदास सिंह	ग्राम व पोस्ट-सूप, थाना-रमाला, तहसील बडौत, जनपद बागपत	बागपत	मेरठ
10	अरविन्द मोहन	स्व0 इन्द्र देव राम	डी-1071, इन्दिरा नगर, लखनऊ	लखनऊ	मुजफ्फरनगर
11	अवध प्रताप सिंह	राम दरश सिंह	ग्राम सिकरौरा, पो0-सिकरौरा कंचनपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	अम्बेडकरनगर	बदायूँ

2- जनपद के विकास खण्ड में तैनाती सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की तैनाती के जनपदों में विभिन्न विकास खण्डों में 01 माह की फील्ड ट्रेनिंग दिये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा इनकी विकास खण्डों में स्वतंत्र रूप से तैनाती की जायेगी।

4- इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

5- प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है, को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे अभ्यर्थियों को योगदान करने की अनुमति प्रदान न करें।

6- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुॅचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7- प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 ¼अद्यावधिक संशोधन सहित½ के सुसंगत नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका ‘सिविल’ संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

एन0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-275/2016/1731(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/4/2016-का-4-2016 दिनांक 10.05.2016 के संदर्भ में प्रेषित।
(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी ।
(9) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
(10) सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त।
(11) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।
(12) गार्ड फाईल।]

आज्ञा से

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।